



# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1183] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2005/कार्तिक 20, 1927 No. 1183] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2005/KARTIKA 20, 1927

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2005

का.आ. 1588(अ).—केन्द्रोय सरकार, पौधा किस्म और कृपक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 11 नवम्बर, 2005 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराएं प्रवृत्त होंगी, अर्थात् :—

- (1) धारा 2 से धारा 13 (इसमें दोनों सम्मिलित हैं); और
- (2) धारा 95 से धारा 97 (इसमें दोनों सम्मिलित हैं)।

[फा. सं. 1-2/2003/एस.डी.-V]

एस. एल. भट्ट, संयुक्त सचिव (बीज)

### MINISTRY OF AGRICULTURE

### (Department of Agriculture and Cooperation)

# NOTIFICATION

### New Delhi, the 11th November, 2005

S.O. 1588(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby appoints the 11th day of November, 2005, as the date on which the following sections of the said Act shall come into force, namely :—

(1) Sections 2 to 13 (both inclusive); and

(2) Sections 95 to 97 (both inclusive).

[F. No. 1-2/2003/SD-V] S. L. BHAT, Jt. Secy. (Seeds)

### अधिसूचना

# नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2005

का.आ. 1589(अ).—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 1 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करती है जो निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलाकर गठित होगा, अर्धात् :—

धारा 3 की उप-धारा (5) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष :

	डॉ. एस. नागराजन	अध्यक्ष	
षारा 3 की	उप-धारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त या नामनिर्दिष्ट सदस्य :		
(i)	कृषि आयुक्त, भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली	— सदस्य, पदेन	
(ii)	उप महानिदेशक, प्रभारी फसल विज्ञान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	— सदस्य, पदेन	
(iii)	संयुक्त सचिव, प्रभारी बीज, भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली	— सदस्य, पदेन	
(iv)	बागवानी आयुक्त, भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली	— सदस्य, पदेन	4
(v)	निदेशक, राष्ट्रीय पौध आनुवांशिक संसाधन व्यूरो, नई दिल्ली	— सदस्य, पदेन	
(vi)	सलाहकार, श्रेणी–1, भारत सरकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली	— सदस्य, पदेन	
(vii)	संयुक्त सचिव, (संरक्षण), भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली	— सदस्य, पदेन	
(viii)	संयुक्त सचिव तथा विधि सलाहकार, भारत सरकार, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय	— सदस्य, पदेन	
(ix)	राख्ट्रीय या राज्य स्तरीय कृपक संगठन से एक प्रतिनिधि	— (रिक्त)	
(x)	जनजातीय संगठन से एक प्रतिनिधि	— (रिक्त)	
(xi)	वीज उद्योग से एक प्रतिनिधि	— (रिका)	
(xii)	अनुसंधान निदेशक, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	— सदस्य	1
(xiii)	कृषि विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय महिला संगठन से एक प्रतिनिधि	— (रिक्त)	
(xiv)	सचिव (कृथि), महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई	— सदस्य	
(xv)	सचिव (कृषि), पश्चिमी बंगाल सरकार, कोलकाता	— सदस्य	

 प्राधिकरण के अध्यक्ष की पदावधि इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक,
इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगी और उसके सदस्यों की पदावधि ( पदेन सदस्यों के अतिरिक्त) उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी।

[फा. सं. 1-2/2003/एस.डी.-V]

एस. एल. भट्ट, संयुक्त सचिव (बीज)

## NOTIFICATION

### New Delhi, the 11th November, 2005

S.O. 1589(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby establishes the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and members, namely :—

Chairperson appointed under clause (a) of sub-section (5) of Section 3 :

Dr. S. Nagarajan

- Chairperson

2

<u>[ भाग II-</u>	—खण्ड 3(ii)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	No. I have a second	3
Membe	ers appointed or	nominated under clause (b) of sub-section (5) of Section 3 :		
(i)	The Agricultur and Cooperation	re Commissioner, Government of India, Department of Agriculture on, New Delhi.	— Member, ex officio	,
(ii)		rector General incharge of Crop Sciences, Indian Council of esearch, New Delhi.	- Member, ex officia	
(iii)		etary incharge of Seeds, Government of India, Department and Cooperation, New Delhi.	- Member, ex officio	
(iv)		re Commissioner, Government of India, Department of . d Cooperation, New Delhi.	— Member, ex officio	
(v)	The Director, N	Jational Bureau of Plant Genetic Resources, New Delhi.	- Member, ex officio	5
(vi)	Adviser Grade-	I, Government of India, Department of Bio-Technology, New Delhi	- M×mber, ex officio	
(vii)	Joint Secretary and Forests, No	(Conservation), Government of India, Ministry of Environment	- Member, ex officio	
(viii)		and Legal Adviser, Government of India, Department of Legal ry of Law and Justice.	— Member, ex officio	
(ix)	One representa	tive from a National or State level Farmers' Organization.	- (Vacant)	<i>3</i> 6
(x)	One representa	tive from a tribal organization.	- (Vacant)	3X
(xi)	One representa	tive from the Seed Industry.	- (Vacant)	
(Xii)	Director of Res	earch, Punjab Agricultural University, Ludhiana.	- Member	
(xiii)	One representat with Agricultur	tive from a National or State level Women's Organization associated al Universities.	— (Vacant)	
(xiv)	Secretary (Agri	culture), Government of Maharashtra, Mumbai.	— Member	
(xv)	Secretary (Agri	culture), Government of West Bengal, Calcutta.	- Member	
2	The term of th	e Chairperson of the Authority shall be for a period of five years	or up to the age of 65	viane

2. The term of the Chairperson of the Authority shall be for a period of five years or up to the age of 65 years, whichever is earlier from the date of issue of this notification and the term of office of its Members (other than the members, ex officio) shall be for a period of three years from the date of their appointment.

[F. No. 1-2/2003/SD-V]

÷

S. L. BHAT, Jt. Secy. (Seeds)